R.N.R.

एच.एस. बेदी, ए.सी.जे. और अजय कुमार मित्तल, माननीय न्यायमूर्ति।

तरुण भंडारी, – *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, – प्रतिवादियों

2006 की सिविल व्रिट *याचिका संख्या 2558*

21 अप्रैल, 2006

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, *1973*– धारा *21, 252(2)* और *253*– हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम, *1978*- रूल. *72-ए* – एमसी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले जाया गया– बैठक में *17* में से *13* पार्षद लिखित रूप से 'अविश्वास प्रस्ताव' वापस लेना चाहते थे – बैठक बुलाए जाने के बाद 'अविश्वास प्रस्ताव' वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है-नियम *72*ए(*1)* में प्रावधान है कि अविश्वास प्रस्ताव को बैठक बुलाए जाने से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है – याचिकाकर्ता के खिलाफ लाया गया 'अविश्वास प्रस्ताव' विफल हो गया क्योंकि एक बार उस पर विचार करने के लिए बैठक बुलाने और शुरू करने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता था।– *1978* के नियम *72*ए(*3)* के तहत अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई भी बैठक तब तक नहीं बुलाई जाएगी जब तक कि इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई अंतिम बैठक की तारीख से छह महीने की अवधि बीत न गई हो। – करीब *3* माह बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित दूसरा अविश्वास प्रस्ताव कानूनी तौर पर टिकाऊ नहीं है-प्रतिवादी

संख्या 2 द्वारा न तो बैठक रद्द करने का कोई कारण बताया गया और न ही याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया– किसी भी कारण के अभाव में बैठक को शून्य घोषित करने के लिए प्रतिवादी संख्या *2* द्वारा पारित आदेश कानूनी रूप से अस्थिर है, जो मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।–याचिका मंजूर।

माना गया कि 19 अक्टूबर, 2005 की कार्यवाही के अवलोकन से पता चलता है कि अविश्वास के लिए बैठक शुरू हो गई थी और 17 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। बैठक शुरू होने के बाद ही 13 सदस्य 'अविश्वास प्रस्ताव' वापस लेना चाहते थे. क़ानून में या नियमों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो बैठक बुलाए जाने के बाद 'अविश्वास प्रस्ताव' को वापस लेने का प्रावधान करता हो। 1978 के नियमों के नियम 72ए के उप नियम 1 के प्रावधान के तहत, उस उद्देश्य के लिए बैठक बुलाने से पहले किसी भी समय अविश्वास प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार, उस पर विचार करने के लिए बैठक बुलाए जाने और उसके शुरू होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जा सकता था। "आयोजित करना" शब्द का अर्थ बैठक का समापन नहीं होगा। इस प्रकार 19 अक्टूबर, 2005 को हुआ 'अविश्वास प्रस्ताव' विफल हो गया था। एक बार ऐसा हो जाने पर छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले कोई दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं बुलाया जा सकेगा। इस प्रकार, 15 फरवरी, 2006 को लाया गया 'अविश्वास प्रस्ताव' कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता।

*(*पैरा*23&24)*

इसके अलावा, यह माना गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो समिति के कामकाज के संचालन के मामले में अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक आयोजित करने के लिए कोरम प्रदान करता हो और

'अविश्वास प्रस्ताव' के लिए बैठक को समिति के कामकाज के संचालन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। समिति। हालाँकि, *19* अक्टूबर, *2005* को *33* में से *17* सदस्यों के उपस्थित होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि कोरम मौजूद नहीं था। *30* दिसंबर, *2005* के आदेश में *19* अक्टूबर, *2005* की बैठक को अमान्य घोषित करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। इसके अलावा, आधिकारिक उत्तरदाताओं ने *19* अक्टूबर की बैठक की घोषणा करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया था। *2005* को अमान्य घोषित किया गया। प्रतिवादी नंबर *2* को यह कारण बताने की आवश्यकता थी कि *19* अक्टूबर, *2005* को आयोजित बैठक शून्य और शून्य थी और इसके अभाव में, आदेश मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होने के कारण कानूनी रूप से अस्थिर है।

*(*पैरा *25&26)*

इसके अलावा, यह माना गया कि *19* अक्टूबर, *2005* के 'अविश्वास प्रस्ताव' को रद्द करने में प्रतिवादी राज्य की कार्रवाई और याचिकाकर्ता के खिलाफ नया 'अविश्वास प्रस्ताव' लाने में *29* पार्षदों की कार्रवाई निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के अधिकारों को प्रभावित करती है और देती है। उसे चुनौती देने के लिए कार्रवाई का एक कारण। यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता के पास कोई अधिकार नहीं था या उसके आदेश पर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। इसके अतिरिक्त, नगर परिषद अधिनियम की धारा *252(2)* के तहत एक आदेश द्वारा 'अविश्वास प्रस्ताव' को रद्द करने में प्रतिवादी-राज्य की कार्रवाई को भी चुनौती दे सकती थी क्योंकि यह नगर परिषद के कामकाज को भी प्रभावित करता है और प्रभावित करता है।

*(*पैरा *19)*

अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता जे.एस. याचिकाकर्ता की ओर से वकील सिद्धू और अमित अग्रवाल।

प्रतिवादी संख्या *1* से *3* के लिए अनमोल रतन सिद्धू, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

डी.एस. पटवालिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या *4* के लिए। सत्यपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, धीरज जैन, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या *6* से *33* के लिए।

प्रतिवादी संख्या *23* के लिए अक्षय भान, वकील।

निर्णय

अजय कुमार मित्तल, माननीय न्यायमूर्ति।

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर इस याचिका में चुनौती नगर परिषद, पंचकुला के नगर पार्षदों द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ लाए गए 'अविश्वास प्रस्ताव' को है।
(2) निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता को नगर परिषद, पंचकुला के अध्यक्ष के रूप में विधिवत निर्वाचित किया गया था। याचिका में दिए गए कथन के अनुसार, नगर परिषद, पंचकुला में 33 सदस्य हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए 19 अक्टूबर, 2005 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त, पंचकुला ने की और याचिकाकर्ता के अनुसार, इसमें 17 पार्षदों ने भाग लिया। उनमें से 13 पार्षद, जो अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों में भी शामिल थे, ने अतिरिक्त उपायुक्त, पंचकुला को लिखित रूप में अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने की इच्छा व्यक्त की। तदनुसार, बैठक के कार्यवृत्त, जिसकी

एक प्रति अनुलग्नक पी-1 के रूप में संलग्न की गई है, को पीठासीन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया।

(3) दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 की बैठक में दर्ज कार्यवाही को रद्द करने के संबंध में कुछ पार्षदों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, निदेशक, शहरी विकास हरियाणा, चंडीगढ़, *(*प्रतिवादी संख्या 2) ने, हालांकि, धारा 252 (2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (संक्षेप में "अधिनियम") के आदेश दिनांक 30 दिसंबर, 2005 (अनुलग्नक पी 2 की प्रतिलिपि) के तहत निम्नानुसार आदेश दिया गया है: -

"इस संबंध में, मुझे आपको सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि मामले की जांच के बाद, 19 अक्टूबर, 2005 को श्री तरूण भंडारी, अध्यक्ष, एम.सी. के खिलाफ "अविश्वास प्रस्ताव" के उद्देश्य से बुलाई गई बैठक को "अविश्वास प्रस्ताव" घोषित करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 252(2) के तहत पंचकुला को शून्य घोषित कर दिया गया है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि इस मामले में तदनुसार कार्रवाई करें।

(4) याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि अपने बुरे इरादों में सफल होने के लिए, जो पार्षद पहले असफल हो गए थे, उन्होंने *25* जनवरी, *2006* को उपायुक्त, पंचकुला के समक्ष एक नया अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उस पर कार्रवाई करते हुए एक सूचना दी। (अनुलग्नक पी-*3)* दिनांक *25* जनवरी, *2006* को याचिकाकर्ता और अन्य पार्षदों को यह कहते हुए भेजा गया था कि इस संबंध में *15* फरवरी, *2006* को एक बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, मांग की कोई प्रति नहीं भेजी गई थी। उसे। इन परिस्थितियों का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता ने आदेश अनुलग्नक पी-*2* और पी-*3* को चुनौती देते हुए *2006* की सिविल रिट याचिका संख्या *1427* दायर की। उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, उत्तरदाताओं ने निर्धारित तिथि यानी *15* फरवरी, *2006* को बैठक की, जिसमें उनके

दावे के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था।

(5) यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या *2* द्वारा पारित आदेश दिनांक *30* दिसंबर, *2005 (*अनुलग्नक पी-*2),* दिनांक *25* जनवरी, *2006* के आदेश (अनुलग्नक पी-*3)* को रद्द करने की मांग करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है।) उपमंडल अधिकारी (नागरिक), पंचकुला द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए *15* फरवरी, *2006* को बैठक बुलाने का आदेश दिया, और *15* फरवरी, *2006* की कार्यवाही (अनुलग्नक पी-*4)* जिसके तहत कोई - उनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका था।

(6) उत्तरदाताओं द्वारा इस मामले पर गरमागरम बहस की गई है। लिखित बयानों के चार सेट दायर किए गए हैं यानी क्रमशः उत्तरदाता संख्या 1 और 2, प्रतिवादी संख्या 4, प्रतिवादी संख्या 23 और उत्तरदाता संख्या 6 से 33 तक। उन सभी ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास अधिनियम की धारा 253 के तहत एक वैकल्पिक उपाय था और उसने उक्त उपाय का लाभ उठाए बिना इस न्यायालय से संपर्क किया है। उत्तरदाताओं 1 और 2 द्वारा दायर लिखित बयान में, यह कहा गया है कि 19 अक्टूबर, 2005 को आयोजित बैठक को अवैध घोषित करने और अविश्वास प्रस्ताव को वापस लेने और मांग करने के बाद कुछ पार्षदों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर उपायुक्त, पंचकुला की टिप्पणियों और मामले की गहनता से जांच करने के बाद, 19 अक्टूबर, 2005 की बैठक को कानून की नजर में वैध नहीं घोषित किया गया क्योंकि बैठक के लिए अपेक्षित कोरम उपस्थित नहीं था। आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए एक विशेष बैठक आयोजित करने की आवश्यकता थी और चूंकि उस संबंध में 19 अक्टूबर, 2005 को आयोजित बैठक में केवल चार सदस्यों ने भाग लिया था, इसलिए वह वैध बैठक नहीं थी। अपेक्षित कोरम के अभाव में. आगे कहा गया कि 19 अक्टूबर, 2005 को

आयोजित विशेष बैठक की कार्यवाही के अवलोकन से पता चलता है कि पीठासीन अधिकारी ने श्री राजिंदर कुमार कक्कड़ और अन्य द्वारा अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने के लिए दिए गए पत्र को खारिज करने का कोई आदेश पारित नहीं किया। आगे स्पष्ट रूप से बताया गया कि चूंकि कार्यवाही में यह दर्ज किया गया है कि "कोई मतदान नहीं हो सका", इसलिए, कार्यवाही में अंत में दर्ज की गई टिप्पणियाँ कि "अविश्वास प्रस्ताव विफल हो गया" तथ्यों के विपरीत था। इसलिए, 19 अक्टूबर, 2005 को बैठक में हुई कार्यवाही को रद्द करने वाला 30 दिसंबर, 2005 का आदेश कानून और नियमों के अनुसार पारित किया गया था। अंत में, यह कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ नगर परिषद, पंचकुला के एक तिहाई से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप में दी गई मांग पर, याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में 15 फरवरी, 2006 को एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। कानून के अनुसार. प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर लिखित बयान में यह कहा गया है कि 19 अक्टूबर, 2005 को 33 पार्षदों की कुल कोरम में से, केवल चार पार्षद बैठक में उपस्थित थे, जैसा कि 19 अक्टूबर, 2005 की बैठक के कार्यवृत्त से स्पष्ट है। , *(*अनुलग्नक आर-4/1). बैठक में उपस्थित चार पार्षदों में से भी दो पार्षद कार्यवाही पर अपने हस्ताक्षर कर तुरंत कार्यालय से चले गए और बैठक नहीं हो पाने के कारण पार्षदों ने बैठक से पहले ही इसे वापस लेने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त को लिखित में दे दिया। बैठक की शुरुआत और पीठासीन अधिकारी ने उन पार्षदों को हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम, 1978 (संक्षेप में "1978 नियम") के नियम 72-ए के उप-नियम (1) के प्रावधान के तहत अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी। इस प्रकार यह विशेष रूप से कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 19 अक्टूबर, 2005 को कोई बैठक नहीं हुई थी क्योंकि कोरम पूरा नहीं था और अन्यथा भी, कुछ पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव काफी पहले ही वापस ले लिया गया था। बैठक शुरू हो सकी. यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कार्यवाही पुस्तिका में पीठासीन अधिकारी द्वारा यह दर्ज किया गया था

"इसलिए, अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका, इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव विफल हो गया।" इस निष्कर्ष से यह प्रतीत होता है कि बैठक आयोजित की गई थी और बैठक आयोजित करने के बाद अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इस विसंगति को दूर करने के लिए कुछ पार्षदों के अभ्यावेदन पर प्रतिवादी क्रमांक 2 ने 19 अक्टूबर 2005 को हुई कार्यवाही को शून्य घोषित कर दिया। उत्तरदाताओं 6 से 33 की ओर से दायर लिखित बयान में याचिकाकर्ता पर अदालत से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का आरोप लगाया गया है। यह कहा गया है कि याचिका के साथ संलग्न अनुलग्नक पी-1 मूल कार्यवाही का सही अनुवाद नहीं है जो हिंदी में है। 15 फरवरी 2006 को हुई बैठक में 33 में से 29 सदस्यों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ वोट किया और एक भी सदस्य ने याचिकाकर्ता के पक्ष में वोट नहीं किया, जिससे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। आगे कहा गया है कि नियमावली के नियम 72-ए के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की जानी थी, लेकिन विशेष बैठक बुलाने के लिए आवश्यक कोरम पूरा नहीं होने के कारण 19 अक्टूबर को बैठक आयोजित की गई. 2005 एक वैध बैठक नहीं थी और ऐसा होने पर अविश्वास प्रस्ताव लाने और उस पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता। हालाँकि, यह स्वीकार किया गया कि विशेष बैठक बुलाने की मांग करने वाले 13 पार्षदों ने 19 अक्टूबर, 2005 को अतिरिक्त उपायुक्त को लिखित रूप में मांग वापस लेने की इच्छा व्यक्त की थी।

अंत में यह कहा गया कि चूंकि 19 अक्टूबर, 2005 की बैठक शुरू होने से पहले पार्षदों द्वारा अविश्वास की मांग वापस ले ली गई थी और विशेष बैठक के लिए आवश्यक कोरम उस दिन कभी मौजूद नहीं था, इसलिए तथाकथित बैठक आयोजित की गई 19 अक्टूबर, 2005 को हुई बैठक कानून की नजर में वैध नहीं थी और इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 15 फरवरी, 2006 को बैठक आयोजित करने में कोई कानूनी बाधा नहीं थी, जो कानून के अनुरूप आयोजित की गई थी। और नियम. प्रतिवादी संख्या 23 ने अपने अलग लिखित बयान में लगभग वही दलीलें दीं जो

अन्य उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई थीं और यहां ऊपर देखी गई हैं। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा कहा गया है कि कानून के प्रावधानों के अनुसार, याचिकाकर्ता 30 दिसंबर, 2005 के आदेश को पारित करने से पहले किसी भी नोटिस या सुनवाई के अवसर का हकदार नहीं था, जिसे पूर्ण अनुपालन में पारित किया गया है। कुछ पार्षदों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर कानून ने कहा कि पर्याप्त कोरम की कमी के कारण, 19 अक्टूबर, 2005 की बैठक कानून की नजर में वैध बैठक नहीं थी। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक प्रार्थना की गई कि रिट याचिका खारिज करने योग्य है।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अशोक अग्रवाल ने अधिनियम की धारा *21* और नियम *72*ए*(3)* के प्रावधानों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि एक बार *19* अक्टूबर, *2005* को 'अविश्वास प्रस्ताव' विफल हो गया था, तो उत्तरदाता ऐसा कर सकते थे। उस तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले एक और बैठक नहीं बुलाई है और तदनुसार, *15* फरवरी, *2006* को आयोजित 'अविश्वास प्रस्ताव' अधिकार क्षेत्र के बिना था। उन्होंने आगे कहा कि *30* दिसंबर, *2005* का वह आदेश, जिसके तहत अधिनियम की धारा *252(2)* के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए *19* अक्टूबर, *2005* की बैठक को रद्द कर दिया गया था, टिकाऊ नहीं है क्योंकि उक्त आदेश ऐसा करने का कोई कारण नहीं बताता है और यही बात कानून में भी थी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन।

(8) निजी उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सत्यपाल जैन ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि याचिकाकर्ता के पास 30 दिसंबर, 2005 के आदेश को रद्द कराने के लिए अधिनियम की धारा 253 के तहत एक वैकल्पिक उपाय है। विद्वान वकील ने इस प्रस्तुतिकरण के समर्थन में **किरण' सिनेमा पट्टी बनाम उप मंडल अधिकारी (सिविल) पट्टी और अन्य, (1)** पर भरोसा किया। विवाद के गुण-दोष पर तर्क देते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब तक 'अविश्वास प्रस्ताव' को विशेष रूप से स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाता है और एक उचित बैठक नहीं

बुलाई जाती है, तब तक नियम 72 ए (3) के प्रावधान में प्रदान की गई छह महीने की अवधि लागू नहीं होती है। विद्वान वकील के अनुसार, कोरम पूरा न होने के कारण 19 अक्टूबर, 2005 को बैठक कभी नहीं बुलाई गई और इसलिए, 15 फरवरी, 2006 को बैठक बुलाने और उस तारीख को 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई विफल रही। पूर्णतः उचित था। विद्वान वकील ने **बलदेव मित्तर खुल्लर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2) रघुबर दास बनाम पंजाब राज्य, (3) और कंगजम जधोब सिंह और अन्य बनाम सी होंगथम पिशाक सिंह और अन्य, (4)** में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया।) अपनी दलीलों का समर्थन करने के लिए।

(9) वैकल्पिक रूप से, उन्होंने दलील दी कि आदेश, अनुलग्नक पी-*2*, दिनांक *30* दिसंबर, *2005,* जिसने *19* अक्टूबर, *2005* की कार्यवाही को रद्द कर दिया था, नगर परिषद को *3* जनवरी, *2006* को प्राप्त हुआ था और बैठक *12* जनवरी, *2006* को आयोजित की गई थी। जिसमें नगर परिषद के संज्ञान में यह बात नहीं लाई गई। केवल नगर परिषद ही उक्त कार्रवाई से व्यथित थी और इस प्रकार इसे नगर परिषद द्वारा चुनौती दी जा सकती थी और याचिकाकर्ता के पास कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने **सुभाष चंद्रा और अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम और अन्य, *(5)* बलदेव राज शर्मा बनाम पंजाब राज्य और अन्य, *(6)* श्रीमती पर भरोसा जताया। जीवन लता बनाम श्री कृष्ण कुमार, *(7)*।**

(10) अन्य उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने भी इसी तरह की दलीलें दीं और आदेश अनुलग्नक पी-2 द्वारा 'अविश्वास प्रस्ताव' को रद्द करने की कार्रवाई का समर्थन किया।

(11) श्री अशोक अग्रवाल ने उत्तरदाताओं के तर्कों का खंडन करते हुए, पहले से ही प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ दोहराईं और इस तर्क पर जोर दिया कि वास्तव में, 'अविश्वास प्रस्ताव' रखने के लिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अन्यथा तथ्यों पर, कोरम मौजूद था। 19 अक्टूबर 2005 जब 'अविश्वास प्रस्ताव' के लिए बैठक हुई. उन्होंने **बाबू लाई अग्रवाल बनाम कमिश्नर और सचिव, हरियाणा सरकार, स्थानीय**

निकाय विभाग, चंडीगढ़ और अन्य (8) कपिल गर्ग बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (9) और अन्य में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। द्वारका नाथ दत्ता बनाम चंद्र मोहन रॉय और अन्य में कलकत्ता उच्च न्यायालय, (10) ने अपनी दलीलों के समर्थन में।

(12) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और उनकी सहायता से रिकॉर्ड की गहन जांच की है।

(13) पार्टियों के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई मैराथन दलीलें याचिकाकर्ता के खिलाफ लाए गए 'अविश्वास प्रस्ताव' पर विचार करने के लिए *19* अक्टूबर, *2005* को आयोजित कार्यवाही की वैधता के बारे में एकमात्र विवाद के आसपास केंद्रित थीं, जब प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप पढ़ा गया। कानून। हम उन प्रासंगिक प्रावधानों की जांच कर सकते हैं जिनके आलोक में *19* अक्टूबर, *2005* को आयोजित बैठक की स्थिति के बारे में निर्णय निर्धारित किया जाना है और यह भी कि क्या इसे रद्द करने की कार्रवाई की जानी है, - आदेश अनुलग्नक पी-*2,* दिनांक *30* दिसंबर, *2005* के अनुसार जायज़ है। अधिनियम की धारा *21* राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' से संबंधित है और इस प्रकार है: -

"21. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिया जा सकता है।

(2) उपायुक्त या ऐसा अन्य अधिकारी जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से नीचे का न हो, जैसा कि उपायुक्त प्राधिकृत कर सकता है, उप-धारा (*1)* में निर्दिष्ट प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाएगा। नियमों में निर्धारित है, और ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) यदि प्रस्ताव समिति के कम से कम दो-तिहाई निर्वाचित सदस्यों के समर्थन से पारित किया जाता है, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, को अपना पद खाली कर दिया गया माना जाएगा।

(4) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ एक साथ या अन्यथा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी (नागरिक) या कोई अन्य अधिकारी जो नगरपालिका से नीचे का न हो। उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत अतिरिक्त सहायक आयुक्त अब से राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी होने या उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेगा।

(5) उपधारा (*2)* में निर्दिष्ट बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी, लेकिन न तो उन्हें और न ही ऐसे अधिकारी को ऐसी बैठक में वोट देने का अधिकार होगा।

(14) अधिनियम की धारा *252* समिति पर राज्य सरकार और उसके अधिकारियों की शक्ति का प्रावधान करती है और धारा *253* अधिकारियों पर राज्य सरकार के सामान्य मालिकों को परिभाषित करती है। उपरोक्त प्रावधान इस प्रकार हैं:-

***"252.* समिति पर राज्य सरकार और उसके अधिकारियों का अधिकार।** (*1)* राज्य सरकार और उपायुक्त, राज्य सरकार के आदेशों के तहत कार्य करते हुए, यह अपेक्षा करने के लिए बाध्य होंगे कि समितियों की कार्यवाही कानून और किसी भी अधिनियम के तहत लागू नियमों के अनुरूप होगी। आमतौर पर हरियाणा या जिन क्षेत्रों पर समितियों का अधिकार है।

(2) राज्य सरकार इस कर्तव्य के पालन के लिए आवश्यक सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, और अन्य बातों के अलावा, लिखित आदेश द्वारा, किसी भी कार्यवाही को रद्द या संशोधित कर सकती है जिसे वह कानून या ऐसे नियमों के अनुरूप नहीं मानती है। पूर्वोक्त,

या उन कारणों से जो उसकी राय में धारा *246* के तहत उपायुक्त द्वारा एक आदेश को उचित ठहराएंगे।

(3) उपायुक्त, उसी उद्देश्य के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर, ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा उसे प्रदान की जा सकती हैं।*"*

"253. अधिकारियों पर राज्य सरकार की सामान्य शक्तियाँ। इस अधिनियम में किसी भी बात के बावजूद, राज्य सरकार के पास इस अधिनियम के तहत पारित या पारित होने वाले कथित राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के किसी भी आदेश को उलटने या संशोधित करने की शक्ति होगी, यदि वह मानती है कि यह उक्त अधिनियम के अनुरूप नहीं है। या नियम या किसी भी कारण से उपयोगी होने के लिए, और आम तौर पर इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार अपने अधिकारियों पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी:
बशर्ते कि राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के किसी भी आदेश को उलटने या संशोधित करने की शक्ति ट्रिब्यूनल या जिला न्यायाधीश द्वारा चुनाव याचिका में पारित आदेशों पर लागू नहीं होगी।

(15) हरियाणा सरकार ने, दिनांक *30* जून, *1978* की हरियाणा सरकार की अधिसूचना के माध्यम से, हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम *1978* को प्रख्यापित किया। *1978* के नियमों का नियम *72*ए, जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है, हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक *13* सितंबर द्वारा शामिल किया गया था। *1995.* यह इस प्रकार है:-

***"72*-ए.-अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव**.- (*1)* किसी समिति के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव उपायुक्त को

संबोधित लिखित रूप में दी गई मांग के माध्यम से किया जा सकता है, जिस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हों समिति के कुल सदस्यों के एक तिहाई से भी कम:
बशर्ते कि जिन सदस्यों ने ऐसा प्रस्ताव दिया है, वे इस उद्देश्य के लिए बैठक बुलाए जाने से पहले उसे वापस ले सकते हैं।

स्पष्टीकरण.-इस नियम के तहत कोई भी अंश समग्र रूप में लिया जाएगा।

(2) उपायुक्त या ऐसा अन्य अधिकारी जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से नीचे न हो, जैसा कि उपायुक्त अधिकृत कर सकता है, सदस्यों के उपयोग के लिए प्रत्येक सदस्य को मांग की एक प्रति परिचालित करेगा।

(3) उपायुक्त या ऐसा अन्य अधिकारी जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से नीचे का न हो, जैसा कि उपायुक्त प्राधिकृत कर सकता है, निर्दिष्ट प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कम से कम पंद्रह दिन का नोटिस देकर एक विशेष बैठक बुलाएगा। उप-नियम (*1),* और ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेगा:

बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए ऐसी कोई बैठक तब तक नहीं बुलाई जाएगी जब तक कि इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई अंतिम बैठक की तारीख से छह महीने की अवधि बीत न गई हो।

(4) यदि प्रस्ताव समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से किया जाता है, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, को अपना पद खाली कर दिया गया माना जाएगा।

(15) सबसे पहले उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर ध्यान देते हुए, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि

अधिनियम की धारा *253* के तहत, राज्य सरकार को राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के किसी भी आदेश को उलटने या संशोधित करने का अधिकार दिया गया है जो पारित किया गया है या कथित तौर पर किया गया है। अधिनियम के तहत पारित किया गया है, यदि यह माना जाता है कि यह अधिनियम या नियमों के अनुरूप नहीं है। एईटी की धारा *252(2)* राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान करती है जो कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए आवश्यक हो सकती है और किसी भी कार्यवाही को रद्द या संशोधित कर सकती है जिसे वह कानून और नियमों के अनुरूप नहीं मान सकती है या जो उसकी राय में हो सकती है। अधिनियम की धारा *246* के तहत उपायुक्त के आदेश को उचित ठहराएँ।

(17) अधिनियम की धारा *252(2)* के तहत प्रयोग करने योग्य शक्ति राज्य सरकार की है और इसलिए, अधिनियम की धारा *253* के तहत राज्य सरकार के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। किरण सिनेमा एक पट्टी का मामला (सुप्रा) एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां राज्य सरकार द्वारा जिस आदेश को उलटने या संशोधित करने की मांग की गई थी वह एक आदेश था जिसे राज्य सरकार के एक अधिकारी ने अधिनियम के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया था। . वर्तमान मामले में, निदेशक-प्रतिवादी नंबर *2* ने अधिनियम की धारा *252(2)* के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए *19* अक्टूबर, *2005* के 'अविश्वास प्रस्ताव' को रद्द कर दिया था। इसलिए, वही होगा अधिनियम की धारा *253* के तहत राज्य सरकार के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अधीन नहीं होगा। अत: प्रारंभिक आपत्ति खारिज की जाती है।

(18) उत्तरदाताओं की वैकल्पिक दलील कि याचिकाकर्ता एक पीड़ित पक्ष नहीं था और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका दायर करने का कोई

अधिकार नहीं है, बिना किसी तथ्य के है। यह प्रस्तुत किया गया कि अकेले नगर परिषद प्रभावित पक्ष थी और *30* दिसंबर, *2005* के आदेश (अनुलग्नक पी-*2)* को अकेले नगर परिषद द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। हम उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के इस तर्क से भी प्रभावित नहीं हैं।

(19) कानून का सिद्धांत सुभाष चंद्रा के मामले (सुप्रा), बी एल्देव राज शर्म के मामले (सुप्रा) और श्रीमती में प्रतिपादित किया गया। जिव एन लता का मामला (सुप्रा) अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है लेकिन यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। प्रतिवादी की कार्रवाई - *19* अक्टूबर, *2005* के 'अविश्वास प्रस्ताव' को रद्द करने में राज्य और याचिकाकर्ता के खिलाफ नए 'अविश्वास प्रस्ताव' लाने में *29* पार्षदों की कार्रवाई निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के अधिकारों को प्रभावित करती है और कार्रवाई का कारण देती है। उसे उसी को चुनौती देने के लिए. यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता के पास कोई अधिकार नहीं था या उसके आदेश पर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। इसके अतिरिक्त नगर परिषद भी अधिनियम की धारा *252(2)* के तहत एक आदेश द्वारा 'अविश्वास प्रस्ताव' को रद्द करने में प्रतिवादी-राज्य की कार्रवाई को चुनौती दे सकती थी क्योंकि यह नगर परिषद के कामकाज को भी प्रभावित करता है और प्रभावित करता है।

(20) अंत में, अधिनियम की धारा *21(1)* के अनुसार मामले को गुण-दोष के आधार पर लेते हुए, नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया जा सकता है। धारा *21* की उपधारा (*2)* के तहत, उपायुक्त या कोई अन्य अधिकारी जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से नीचे का न हो, जो उपायुक्त द्वारा अधिकृत है, प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक बुलाएगा। उपधारा (*3)* के अनुसार, प्रस्ताव को समिति के कम से कम

2/3 निर्वाचित सदस्यों के समर्थन से पारित किया जाना है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 'नहीं' के पारित होने पर अधिकारी को पद से हटा देंगे। -विश्वास प्रस्ताव'. इसके बाद उप-धारा (*4)* के आधार पर, संबंधित क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी (सिविल) या अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से नीचे का कोई अन्य अधिकारी, जो उपायुक्त द्वारा अधिकृत है, चुनाव की तारीख तक शक्तियों का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति को अधिसूचित किया जाता है या उपराष्ट्रपति चुना जाता है। उपधारा (*5)* के तहत 'अविश्वास प्रस्ताव' के लिए बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को करनी होती है।

(*21) 1978* के नियमों के नियम *72*ए(*3)* में प्रावधान है कि उपायुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कम से कम पंद्रह दिनों का नोटिस देकर एक विशेष बैठक बुलाएगा और बैठक की अध्यक्षता करेगा। इस उप नियम के प्रावधान के तहत, उक्त उद्देश्य के लिए ऐसी कोई बैठक तब तक नहीं बुलाई जाएगी जब तक कि इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई अंतिम बैठक की तारीख से छह महीने की अवधि बीत न गई हो।

(22) उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने का संचयी प्रभाव यह है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए कम से कम पंद्रह दिनों का नोटिस देकर एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी और इसके लिए आवश्यक है समिति के *2/3* निर्वाचित सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। हालाँकि, अविश्वास के लिए कोई बैठक तब तक नहीं बुलाई जाएगी जब तक कि इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई पिछली बैठक की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त न हो जाए।

(23) ऊपर वर्णित तथ्यात्मक मैट्रिक्स से, जिस बिंदु पर अब विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि *19* अक्टूबर, *2005* को हुई 'अविश्वास प्रस्ताव' पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई थी या नहीं। **रघुबर दास** के मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा था कि 'बैठक बुलाओ' शब्द वास्तव में 'बैठक आयोजित करने' का पर्याय होगा। **द्वारका नाथ दत्ता के मामले (सुप्रा)** में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना था कि जो व्यक्ति वास्तव में किसी बैठक में उपस्थित होते हैं, लेकिन जो कार्यवाही में सक्रिय भाग नहीं लेते हैं या मतदान नहीं करते हैं, उन्हें कोरम के उद्देश्य से अनुपस्थित नहीं माना जा सकता है। *19* अक्टूबर, *2005* की कार्यवाही के अवलोकन से पता चलता है कि अविश्वास के लिए बैठक शुरू हो गई थी और *17* सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। बैठक शुरू होने के बाद ही *13* सदस्य 'अविश्वास प्रस्ताव' वापस लेना चाहते थे. क़ानून या नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो बैठक बुलाए जाने के बाद 'अविश्वास प्रस्ताव' को वापस लेने का प्रावधान करता हो। *1978* के नियमों के नियम *72*ए के उप नियम *1* के प्रावधान के तहत, उस उद्देश्य के लिए बैठक बुलाने से पहले किसी भी समय अविश्वास प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार**, बलदेव मित्तार खुल्लर के मामले (सुप्रा) और कंगजम जधोब सिंह के मामले (सुप्रा)** में निर्णय उत्तरदाताओं के मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं। हालाँकि, **रघुबर दास का मामला (सुप्रा)** याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन करता है।

(24) इस प्रकार, उस पर विचार करने के लिए बैठक बुलाए जाने और उसके शुरू होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव वापस नहीं लिया जा सकता था। "आयोजित करना" शब्द का अर्थ बैठक का समापन नहीं होगा। वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, *19* अक्टूबर, *2005* को हुआ 'अविश्वास प्रस्ताव' इस प्रकार विफल हो गया था। एक बार ऐसा हो जाने पर छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले कोई दूसरा अविश्वास प्रस्ताव नहीं बुलाया जा सकेगा। इस प्रकार, *15* फरवरी,

2006 को लाया गया 'अविश्वास प्रस्ताव' कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता।

(25) प्रतिवादियों के विद्वान वकील का यह तर्क कि *19* अक्टूबर, *2005* को जब 'अविश्वास प्रस्ताव' के लिए बैठक हुई थी, उस समय कोई कोरम नहीं था, हमें अधिक समय तक रोके नहीं रखेगा। वास्तव में, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो समिति के कामकाज के संचालन के मामले में अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक आयोजित करने के लिए कोरम प्रदान करता हो और 'अविश्वास प्रस्ताव' के लिए बैठक को समिति के कामकाज के संचालन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। . हालाँकि, *19* अक्टूबर, *2005* को *33* में से *17* सदस्यों के उपस्थित होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि कोरम मौजूद नहीं था।

(26) अब आदेश दिनांक *30* दिसंबर, *2005,* अनुलग्नक पी-*2* की वैधता की जांच करते हुए, इसका अवलोकन करने से पता चलता है कि दिनांक *19* अक्टूबर, *2005* की बैठक को अमान्य घोषित करने का कोई कारण उसमें नहीं बताया गया है। इसके अलावा, आधिकारिक उत्तरदाताओं ने *19* अक्टूबर, *2005* की बैठक को अमान्य घोषित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया था। प्रतिवादी नंबर *2* को यह कारण बताने की आवश्यकता थी कि *19* अक्टूबर, *2005* को आयोजित बैठक शून्य और शून्य थी और इसके अभाव में, आदेश मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होने के कारण कानूनी रूप से अस्थिर है।

(27) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और आदेश दिनांक *30* दिसंबर, *2005,* अनुलग्नक पी-*2,* नोटिस दिनांक *25* जनवरी, *2006* को 'अविश्वास प्रस्ताव' के लिए बैठक बुलाने और 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित किया गया। *15* फरवरी, *2006* को अवैध माना जाता है और इस प्रकार, इसे रद्द कर दिया

जाता है। पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सचिन कुमार सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा